

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र


क्रमांक 519 जयपुर/2003-2004

यह प्रमाणित किया जाता है कि बेनेडिक्ट लोड विकास
संस्थान जिला जयपुर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 13 माह नवम्बर सन दो हजार तीस
को जयपुर में किया गया।




रजिस्ट्रार संस्थाएँ
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352

2751417



वर्तमान कार्यकारिणी की सूची

संस्था की वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची पद, व्यवसाय, पता सहित निम्न प्रकार है। कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा।

क्रम	नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री नयनेश उपाध्याय पुत्र श्री त्रंबकेश्वर उपाध्याय	शिक्षक - समाजसेवक	बोरी, जिला बांसवाड़ा	अध्यक्ष
2.	डा. समता पाठक पत्नी श्री मनोज पाठक	कलाकार	164, हवा मगरी, जिला उदयपुर	कोषाध्यक्ष
3.	श्री यतीन उपाध्याय पुत्र श्री राजेंद्र उपाध्याय	कलाकार-समाजसेवक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	सचिव
4.	श्री दिनेश पाटीदार पुत्र स्व. श्री केवजी पाटीदार	समाजसेवक	रैयाना, जिला बांसवाड़ा	सह सचिव
5.	श्री अशोक स्वर्णकार पुत्र स्व. श्री भंवरलाल स्वर्णकार	पत्रकारिता	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	उपाध्यक्ष
6.	श्री सतीश आचार्य पुत्र श्री शालीग्राम आचार्य	कलाकार-समाजसेवक	छींच, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
7.	श्रीमती जया उपाध्याय पत्नी डा. विद्यासागर उपाध्याय	समाज सेविका	3/64, मालवीय नगर, जयपुर	सदस्य
8.	श्रीमती कलावती भट्ट पत्नी श्री वासुदेव भट्ट	समाज सेविका	सरोदा, जिला डूंगरपुर	सदस्य
9.	श्रीमती मीना भावसार पत्नी श्री शंकरलाल भावसार	समाज सेविका	केशरपुरा, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
10.	श्रीमती कल्पना डिंडोर पत्नी स्व. श्री नारायण डिंडोर	सहायक जन संपर्क अधिकारी	गली नं 4, रातीतलाई, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
11.	श्रीमती पुष्पा सोलंकी पत्नी श्री कमल किशोर सोलंकी	समाज सेविका	खेड़ा, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
12.	श्री सुचील भट्ट पुत्र श्री नरेंद्र भट्ट	शिक्षक - समाजसेवक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
13.	श्री भरत भावसार पुत्र श्री हरगोविंद भावसार	शिक्षक-समाजसेवक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	सदस्य

अध्यक्ष
बेणेश्वर लोक विकास संस्थान
परतापुर

Secretary
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur-Banswara (Raj)

Treasurer
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur-Banswara (Raj)

Beneshwer Lok Vikas Sansthan

Partapur, Garhi - Banswara (Rajashan) Tel. +91 2963 220201

Email : blvsjaipur@yahoo.com , http://beneshwer.blogspot.com , http://blvs.blogspot.com

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम: बेणेश्वर लोक विकास संस्थान
2. संस्था का पंजीकृत पता: संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय परतापुर
- 2.(अ) संस्था का कार्यक्षेत्र: संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान
3. संस्था के उद्देश्य: इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

क्रम	उद्देश्य
1.	कला, संस्कृति, साहित्य, पर्यटन, हेरिटेज संबंधी प्रोत्साहन, संरक्षण व विकास की गतिविधियां व निर्माण कार्य।
2.	पुरातत्व एवं ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण उनसे संबंधित शोध संरक्षण व निर्माण कार्य गतिविधियां।
3.	आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग समुदायों का सामाजिक, आर्थिक विकास।
4.	निराश्रित, विकलांग, विधवा, वृद्धाश्रम, शोषित एवं परित्यक्त लक्ष्य समूहों का विकास, पुनर्वास व उनसे संबंधित निर्माण कार्य का संचालन।
5.	विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए शिक्षा, साक्षरता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम।
6.	समसामयिक सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता के प्रयास।
7.	स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं जनसंख्या नियंत्रण संबंधी गतिविधियां।
8.	ग्रामीण विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं जल संग्रहण व भू-संरक्षण व इनसे जुड़ी निर्माण संबंधी गतिविधियों का संचालन करना।
9.	पर्यावरण एवं प्राकृतिक संतुलन के लिए विभिन्न स्रोतों द्वारा प्रयास।
10.	स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय अर्जन व स्वरोजगार के प्रयासों को सहयोग एवं प्रोत्साहन।
11.	सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान-प्रदान की योजना एवं प्रोत्साहन।

12.	सबके लिए शिक्षा। अनौपचारिक एवं औपचारिक प्राथमिक-माध्यमिक व उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु व्यवस्था करना एवं वंचित वर्गों के लिए गुणवत्ता आधारित शिक्षा के नवाचार कार्यक्रमों व परियोजनाओं का संचालन करना।
13.	सबके लिए स्वास्थ्य। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्गों हेतु शिक्षा व चिकित्सा सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना एवं परिवार कल्याण, एड्स की रोकथाम, टीकाकरण व मातृ-शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों व अन्य परियोजनाओं का संचालन करना।
14.	फुटपाथी व कामकाजी बच्चों का विकास-संरक्षण व पुनर्वास संबंधी निर्माण कार्यों का संचालन।
15.	लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, बाल अधिकार, विश्व बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं आपदाओं के दौरान राहत व पुनर्वास कार्यक्रमों व परियोजनाओं का संचालन करना।
16.	हथ करघा, लघु कुटीर उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन संरक्षण व विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों का संचालन जिनसे वंचित दलित व पिछड़े वर्ग लाभान्वित हो सकें।
17.	विभिन्न मुद्दों पर आधारित कार्यक्रमों को जैसे युवा, बाल, वरिष्ठ नागरिक, वृद्ध किसी भी विशिष्ट समूहों के लिए संचालित करना।
18.	समान उद्देश्यों व समान लक्ष्य समूहों के लिए कार्यरत अन्य संस्थाओं, सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों से नेटवर्किंग विकसित करना।
19.	समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं का प्रबंधन/अधिग्रहण व उनकी परिसंपत्तियों की देखभाल करना।
20.	संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय व मानव संसाधनों का अर्जन व प्रबंधन करना।
21.	संस्था आर्थिक स्वावलम्बन हेतु कार्यक्रमों को सुचारु रखने के लिये सरकारी/गैर सरकारी वित्तीय संस्था से लघु-वृहद ऋण उपलब्ध कराकर हितधारकों को स्वरोजगार से जोड़ते हुए ऋण का पुनर्भुगतान का कार्य।


 अध्यक्ष
 अध्यक्ष
 बनेश्वर लोक विकास संस्थान
 परतापुर


 सचिव
 Secretary
 BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
 Partapur - Banswara (Raj.)


Samta
 कोषाध्यक्ष
 Treasurer
 BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
 Partapur - Banswara (Raj.)




संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी को सौंपा गया है जिसके वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं।

क्रम	नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री नयनेश उपाध्याय पुत्र श्री त्रंबकेश्वर उपाध्याय	शिक्षक - समाजसेवक	बोरी, जिला बांसवाड़ा	अध्यक्ष
2.	डा. समता पाठक पत्नी श्री मनोज पाठक	कलाकार	164, हवा मगरी, जिला उदयपुर	कोषाध्यक्ष
3.	श्री यतीन उपाध्याय पुत्र श्री राजेंद्र उपाध्याय	कलाकार-समाजसेवक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	सचिव
4.	श्री दिनेश पाटीदार पुत्र स्व. श्री केवजी पाटीदार	समाजसेवक	रैयाना, जिला बांसवाड़ा	सह सचिव
5.	श्री अशोक स्वर्णकार पुत्र स्व. श्री भंवरलाल स्वर्णकार	पत्रकारिता	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	उपाध्यक्ष
6.	श्री सतीश आचार्य पुत्र श्री शालीग्राम आचार्य	कलाकार-समाजसेवक	छींच, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
7.	श्रीमती जया उपाध्याय पत्नी डा. विद्यासागर उपाध्याय	समाज सेविका	3/64, मालवीय नगर, जयपुर	सदस्य
8.	श्रीमती कलावती भट्ट पत्नी श्री वासुदेव भट्ट	समाज सेविका	सरोदा, जिला डूंगरपुर	सदस्य
9.	श्रीमती मीना ताबीयार पत्नी श्री शंकरलाल ताबीयार	समाज सेविका	केशरपुरा, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
10.	श्रीमती कल्पना डिंडोर पत्नी स्व. श्री नागेंद्र डिंडोर	सहायक जन संपर्क अधिकारी	गली नं 4, रातीतलाई, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
11.	श्रीमती पुष्पा सोलंकी पत्नी श्री कमल किशोर सोलंकी	समाज सेविका	खेडा, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
12.	श्री सुनील भट्ट पुत्र श्री नरेंद्र भट्ट	शिक्षक - समाजसेवक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	सदस्य
13.	श्री भरत भावसार पुत्र श्री हरगोविंद भावसार	शिक्षक-संगीत विशारद	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	सदस्य


अध्यक्ष
बेनेश्वर लोक विकास संस्था
परतापुर


Secretary
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)


Treasurer
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)

Beneshwer Lok Vikas Sansthan

Partapur, Garhi - Banswara (Rajasthan) Tel. +91 2963 220201

Email : blvsjaipur@yahoo.com , http://beneshwer.blogspot.com , http://blvs.blogspot.com

5. बेणेश्वर लोक विकास संस्थान, परतापुर नई कार्यकारिणी व साधारण सदस्यों के नाम, व्यवसाय, पूर्ण पते व हस्ताक्षर निम्न प्रकार हैं।

क्रम	नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री नयनेश उपाध्याय	शिक्षक एवं समाजसेवक	बोरी, जिला बांसवाड़ा	
2.	डा. समता पाठक	कलाकार	164, हवा मगरी, जिला उदयपुर	Samta
3.	श्री यतीन उपाध्याय	कलाकार एवं समाजसेवक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	
4.	श्री दिनेश पाटीदार	समाजसेवक	रैयाना, जिला बांसवाड़ा	
5.	श्री अशोक स्वर्णकार	पत्रकारिता	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	
6.	श्री सतीश आचार्य	कलाकार एवं समाजसेवक	छींच, जिला बांसवाड़ा	
7.	श्रीमती जया उपाध्याय	समाजसेविका	3/64, मालवीय नगर, जयपुर	जया उपाध्याय
8.	श्रीमती कलावती भट्ट	समाज सेविका	सरोदा, जिला डूंगरपुर	कलावती
9.	श्रीमती मीना ताबीयार	समाज सेविका	केशरपुरा, जिला बांसवाड़ा	
10.	श्रीमती कल्पना डिंडोर	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	रातीतलाई, बांसवाड़ा	
11.	श्रीमती पुष्पा सोलंकी	समाज सेविका	खेड़ा, जिला बांसवाड़ा	
12.	श्री सुनील भट्ट	शिक्षक एवं समाजसेवक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	
13.	श्री भरत भावसार	शिक्षक एवं संगीत विशारद	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	
14.	श्री बहादुर सिंह	वन अधिकारी	बाई का गड़ा, जिला बांसवाड़ा	
15.	श्री गौरव उपाध्याय	अधिवक्ता	गढ़ी, जिला बांसवाड़ा	
16.	श्री जय सिंह	अपराध अन्वेषक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	
17.	श्रीमती चांदनी भट्ट	कलाकार एवं अधिवक्ता	पोवाड़ी, जिला डूंगरपुर	चांदनी भट्ट
18.	श्रीमती शैलबाला	अभिकता भा.जी.बी.नि.	बोरी, जिला बांसवाड़ा	
19.	श्रीमती अनीता त्रिवेदी	गृहिणी	तलवाड़ा, जिला बांसवाड़ा	Anita.
20.	श्रीमती तुलसी देवी	गायिका	कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा	
21.	श्री एम.एस.पुरोहित	पत्रकारिता	बांसवाड़ा	
22.	श्री प्रभजोत सिंह	व्यवसायी	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	
23.	श्रीमती कमला चरपोटा	समाजसेविका	रैयाना, जिला बांसवाड़ा	
24.	श्रीमती कल्पना यादव	गायिका	लोड़दा, जिला बांसवाड़ा	कल्पना देवी
25.	श्रीमती शर्मिष्ठा रावल	गृहिणी	नाटावाड़ा, जिला बांसवाड़ा	

26.	श्रीमती कमला बामनिया	गृहिणी	नयातालाब, जिला बांसवाड़ा	कमला
27.	श्री राजेश समाधिया	शिक्षक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	राजेश
28.	श्री राजेश भारद्वाज	संगीतकार	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	राजेश
29.	श्री डी.एस.यादव	समाजसेवक	गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	डी.एस.
30.	श्री विठ्ठल पाटीदार	आरक्षी	सुरवानिया, जिला बांसवाड़ा	विठ्ठल
31.	श्री हेमंत मेहता	व्यवसायी	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	हेमंत
32.	श्री कमल आचार्य	समाजसेवक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	कमल
33.	श्रीमती रीना मेहता	गृहिणी	नंदौड़, जिला डूंगरपुर	रीना
34.	सुश्री रीना पंचौरी	कलाकार	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	रीना
35.	श्री पवन कोठारी	प्रधानाध्यापक	परतापुर, जिला बांसवाड़ा	पवन
36.	श्री शांतिलाल कलाल	भारत संचार नि.लि.	खेरवाड़ा, जिला उदयपुर	शांतिलाल
37.	श्री जयपाल सिंह	शोधार्थी	बापूनगर, जिला जयपुर	जयपाल
38.	श्री अशोक कंसारा	कलाकार-समाजसेवी	रतलाम, मध्य प्रदेश	अशोक
36.	श्रीमती लता भाटिया	सौंदर्य प्रसाधक	बोरी, जिला बांसवाड़ा	लता
37.	श्रीमती मंजुला वडेरा	गृहिणी	रोहिड़ा, जिला बांसवाड़ा	मंजुला
38.	श्रीमती जया शर्मा	समाजसेविका	नाटावाड़ा जिला बांसवाड़ा	जया
39.	श्रीमती शंकुतला पटेल	समाजसेविका	भगोरा, जिला बांसवाड़ा	शंकुतला
40.	श्री प्रमोद चरपोटा	शिक्षक	पाटिया डूंगरा, जिला बांसवाड़ा	प्रमोद

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षर कर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर

(नाम, व्यवसाय व पूरा पता)

नाम पी.एन. यादव

व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता

पूरा पता 339, भीम प्रेरणा, पवई मुंबई-400 076

अध्यक्ष
बेनेश्वर लोक विकास संस्थान
परतापुर

Signature Attested

Shiv Lal Puri, Advocate
Notary Public
GARHI Distt - Banswara

Sworn & Signed Before Me
Hence Attested

Shiv Lal Puri, Advocate
Notary Public
GARHI Distt - Banswara

Secretary
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)

हस्ताक्षर

(नाम, व्यवसाय व पूरा पता)

नाम प्रवीण आचार्य

व्यवसाय लेखाकार

पूरा पता परतापुर, बांसवाड़ा

Treasurer
बेनेश्वर लोक विकास संस्थान
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)

4. सदस्यता

कोई भी व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्य, नीति व विधान को स्वीकार करता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

5. सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला शुल्क

प्रत्येक सदस्य से एक हजार रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क लिया जायेगा, व्यक्तियों और संस्थाओं से अनुदान चंदा लिया जा सकेगा।

6. साधारण सभा


संस्था की कार्यविधि एवं अन्य नीतियां तय करने हेतु एवं इनके उद्देश्यों से संबंधित किसी भी विषय पर समय-समय पर साधारण सभा बुलाई जायेगी जिसमें संस्था के सभी सदस्यों को लिखित या मौखिक सूचना द्वारा आमंत्रित किया जा सकेगा।


7. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य


संस्था की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव उनके पदों का चयन उनका निष्कासन तथा एजेंडा के विषय संबंधित विधान प्रस्ताव को पारित किये जाने हेतु विधान में आवश्यक संशोधनों के समस्त अधिकार साधारण सभा के होंगे, साथ ही सभा का कर्तव्य होगा कि किसी भी सदस्य के साथ पक्षपात नहीं करें, इस सभा का यह भी कर्तव्य होगा कि सभा के प्रत्येक सदस्य की बात सुनी जाय और उन्हें हर तरह से संतुष्ट किया जाये।

8. साधारण सभा की बैठकें

- (अ) साधारण सभा की बैठक सामान्यतया वर्ष में एक बार होगी किन्तु आवश्यकता पड़ने पर बीच में भी आपात बैठक बुलाई जा सकेगी।
- (ब) बैठकों का कोरम 1/5 सदस्यों का होगा, या किसी भी बैठक में कम से कम 1/5 सदस्यों का सम्मिलित होना जरूरी है, अन्यथा बैठक स्थगित कर दी जायेगी।
- (स) बैठक की सूचना सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व दे दी जायेगी।
- (द) आवश्यक या आपात बैठक भी बीच में बुलाई जासकती है जिसकी सूचना कम से कम 3 दिन पूर्व में दी जा सकती है।
- (य) स्थगित बैठक नियत दिवस से 15दिन पश्चात बुलाई जा सकती है तथा उसका कार्यक्रम वहीं होगा जो कि पूर्व सभा में निश्चित था।


अध्यक्ष
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur


Secretory
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)


Treasurer
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj)

9. कार्यकारिणी का गठन

संस्था की कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक सह सचिव एवं एक कोषाध्यक्ष तथा 35 अन्य सदस्य होंगे और इस प्रकार संस्था की कार्यकारिणी में कुल 40 सदस्य हो सकते हैं परन्तु इनकी संख्या घटायी या बढ़ायी जाने का अधिकार भी साधारण सभा को होगा।

10. कार्यकारिणी का चुनाव

- (अ) कार्यकारिणी का चुनाव आवश्यकता पड़ने पर होगी और नये कार्यकाल हेतु एक माह के भीतर चुनाव की तिथि निश्चित करना आवश्यक है।
- (ब) चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में कराये जा सकेंगे।
- (स) यदि आवश्यक समझा गया तो अप्रत्यक्ष चुनाव कराये जाने की स्थिति में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति भी की जा सकेगी।

11. कार्यकारिणी की बैठकें


साधारण सभा की बैठकों के अतिरिक्त कार्यकारिणी की अलग बैठक 3 माह में एक बार बुलाई जायेगी जिनमें सभा की बैठकों व उसके एजेंडा के विषयों से संबंधित निर्णय लिए जा सकेंगे। इस हेतु ऊपर बताये गये साधारण सभा की बैठकों से संबंधित समस्त (अ)से (य)तक के प्रावधानों के लागू किया जायेगा। कोरम कुल कार्यकारिणी के आधे सदस्यों का होगा तथा इसकी पूर्व सूचना एक सप्ताह पहले एजेंडा सहित दी जायेगी।

12. कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य

- (अ) कार्यकारिणी दो बैठकों के मध्य की अवधि में संस्था की कार्यनीति निर्धारण का सर्वोच्च अंग होगी।
- (ब) कार्यकारिणी सभा द्वारा लिए गये निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु कार्यनीति का निर्धारण करेगी।
- (स) कार्यकारिणी की सिफारिश पर संस्था की आपात बैठक बुलाने एवं उसके लिए कार्यनीति निर्धारित कर आयोजन हेतु कार्यकारिणी को निर्देशित करेगी।
- (द) यह संस्था के हर स्तर व अंग के कार्यों का निरीक्षण व समन्वय करेगी।
- (य) बैठकों हेतु कार्यसूची का निर्धारण एवं प्रतिवेदन पेश करेगी।


अध्यक्ष
बेणेश्वर लोक विकास संस्था
परतापूर


सचिव
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)


Treasuref
कोषाध्यक्ष
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)

13. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

(अ) अध्यक्ष


यह संस्था का औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रधान होगा तथा विभिन्न अवसरों पर संस्था का प्रतिनिधित्व करेगा। कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ब) उपाध्यक्ष


अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी जिम्मेदारियों का वहन करेगा तथा कार्यकारिणी द्वारा दी गयी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेगा।

(स) सचिव

1. सचिव कार्यकारिणी का प्रधान होगा तथा इसके प्रतिनिधि का कार्य करेगा।
2. कार्यकारिणी की नियमित बैठक बुलाना तथा उसकी कार्यसूची तय करना और उनके निर्णयों के क्रियान्वयन का संचालन करेगा।
3. संस्था के सभी अंगों की आपात बैठक बुलाने हेतु अधिकृत होगा। कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निलंबन एवं हटाने का निर्णय सचिव का होगा।
4. विभिन्न मनोनयनों के लिए अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्ताव रखेगा।
5. अन्य समान विचारधारा वाली संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना तथा संपर्क स्थापित कर विभिन्न कार्यक्रमों को निर्धारित करेगा।
6. संस्था का बैंक खाता खुलवायगा तथा रकम निकलवाने का कार्य करेगा।
7. संस्था द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं सहयोगी संस्थाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
8. कार्यकारिणी की बैठकों के बीच संस्था के लिए आवश्यक निर्णय ले सकेगा तथा पश्चात-वर्ती बैठक में अनुमोदन ले सकेगा।
9. संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विभागों एवं संगठनों के साथ अनुबंध करने के लिए अधिकृत होगा।


अध्यक्ष
बेनेश्वर लोक विकास संस्था
परतापुर


सचिव
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)


Treasurer
कोषाध्यक्ष
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)

(द) संयुक्त सचिव

संयुक्त-सचिव, सचिव की अनुपस्थिति में उसका कार्य करेगा तथा कार्यकारिणी द्वारा दी गयी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा।

(य) कोषाध्यक्ष

1. संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना बजट के अनुसार कार्य करना तथा सचिव अध्यक्ष से प्रमाणित करवाना। संस्था की भी लेखा पुस्तकों का संधारण रखने के लिए उत्तरदायी होगा, कोषों से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होगी।

2. विभिन्न स्रोतों से संचित होने वाला संस्था का कोष बैंक में जमा कराया जायेगा तथा अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

14. परिवर्तन संबंधी प्रावधान राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुसार ही किया जायेगा।


15. विघटन संबंधी प्रावधान राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के आधार पर ही किया जायेगा।

16. रजिस्ट्रार संस्थायें राजस्थान संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त संस्था बेणेश्वर लोक विकास संस्थान, परतापुर की विधान (नियमावली) की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।


अध्यक्ष
बेणेश्वर लोक विकास संस्थान
परतापुर


Secretary
BENESHWER LOK VIKAS SANSTHAN
Partapur - Banswara (Raj.)


Treasurer
बेणेश्वर लोक विकास संस्थान
Partapur - Banswara (Raj.)